(5)

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी, थानागाजी जिला अलवर।

पीठासीन अधिकारी :– कैलाश चन्द शर्मा द्वितीय (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 02/53

तारीख दायर :– 26/05/2016

उनवान

1. मुकेश कुमार शर्मा पुत्र स्व. श्री श्रीनारायण जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम बामनवास चौगान तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान।

–वादी/प्रार्थी।

बनाम

1. श्रीमती तौफलीदेवी पत्नि स्व. श्री श्रीराम जाति हरियाण ब्राहमण निवासी ग्राम बामनवास चौगान तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान।

–असल प्रतिवादनी।

2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) थानागाजी तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान।

–भूमिधारी तकमीली प्रतिवादी।

॥ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्त. अधि.1955 व आदेश 39 नियम 1–2 व धारा 151 जा.दी. ॥

उपस्थिति :–

1. श्री के.के.शर्मा एडवोकेट–प्रार्थीनी।

2. श्री लक्ष्मणसिंह पोसवाल एडवोकेट–अप्रार्थीनी।

न्यायालय द्वारा :–

निर्णय दिनांक :–.26.03.2018

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि उपरोक्त अनुवान का वाद वादी ने पूर्णतथ्यों के साथ अदालत श्रीमान में प्रस्तुत कर दिया है। जिसमें कामयाबी की पूरी पूरी आशा है। वाद में दर्ज तथ्य इस प्रार्थना पत्र के साथ पढे जाने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

Scanned by CamScanner

खाता संख्या नया 236 में वर्णित आराजी हाल खसरा नंबर 176 रकबा 0.69 हैक्टर ग्राम कालीगढ़ तहसील थानागाजी जिला अलवर राज. में स्थित है। कि जो आराजी विवादित है। तथा विवादित आराजी से सम्बोधित की जा रही है। ताईद में छायाप्रति नकल जमाबंदी हाल संवत 2072–2075 संलग्न कर पेश की जा रही है।

वादी व असल प्रतिवादनी एक ही परिवार के लोग है।

जिनके परिवार का शजरा निम्न प्रकार है:–

श्रीनारायण फौत

श्रीराम (पुत्र मृतक)

–मकेश कुमार शर्मा (पुत्र वादी)

श्रीमती तौफलीदेवी (पत्नि असल प्रतिवादनी)

उक्त शजरा के अनुसार वादी का पिता व असल प्रतिवादनी का ससुर श्रीनारायण था जिसका स्वर्गवास हो चुका है। श्रीनारायण के दो पुत्र मिन वादी व असल प्रतिवादनी का पति श्रीराम पैदा हुये, श्रीराम का स्वर्गवास हो चुका है। जिसकी पत्नि वारिस असल प्रतिवादनी है।

मिन वादी व असल प्रतिवादनी का पति श्रीराम सगे भाई थे। वादी के भाई व असल प्रतिवादनी के पति श्रीराम का स्वर्गवास हो चुका है। मिन वादी व असल प्रतिवादनी का पति श्रीराम हमेशा से अब तक साझे में रहे हें विवादित आराजी वादी व असल प्रतिवादनी के पति श्रीराम ने साझे में खरीद की गई और जमीन खरीद करने के लिए साझे में रकम अदा की गई। मिन वादी विवादित आराजी खरीद करने के समय नाबालिग था और हमारे घरेलू व समस्त पारिवारिक कार्य वादी का भाई व असल प्रतिवादनी का पति श्रीराम ही करता था।इसलिए विवादित आराजी का बयनामा वादी नाबालिग होने के कारण वादी के भाई व असल प्रतिवादनी के पति श्रीराम ने अपने हक में पंजीबद्व करा लिया और राजस्व रिकार्ड में बयनामा के आधार पर इंतकाल बय दर्ज कराकर अपने नाम खातेदारी का अंकन करा लिया। आराजी जरिये बयनामा खरीद करते समय यह तैय पाया गया था कि वादी के बालिग होने पर विवादित आराजी में से 1/2 हिस्सा वादी के नाम व 1/2 हिस्सा असल प्रतिवादनी के पति श्रीराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करा दिया जावेगा।

उपरोक्तानुसार विवादित आराजी वादी व असल प्रतिवादनी की शामलाती कब्जे काश्त की आराजी है। जो कि वर्तमान में असल प्रतिवादनी के पति श्रीराम के नाम खातेदारी में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

विवादित आराजी वादी तथा असल प्रतिवादनी की शामलाती आराजी है, विवादित आराजी में वादी का 1/2 हिस्सा तथा असल प्रतिवादनी का 1/2 हिस्सा है। एवम वादी तथा असल प्रतिवादनी विवादित आराजी के अपने अपने हिस्से पर शामलात में काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हें वादी व असल प्रतिवादनी का आज भी मौके पर कब्जा

ण्ड अधिकारी
गाजी (अलवर)

Scanned by CamScanner

काश्त शामलात में बदस्तुर मौजूद है। वादी के भाई श्रीराम पुत्र श्रीनारायण का स्वर्गवास हो चुका है। तथा वादी व असल प्रतिवादनी काश्तकार पेशा है। तथा कार्य काश्त पर ही आश्रित है। विवादित आराजी ही वादी तथा असल प्रतिवादनी के जीवन निर्वाह का एक मात्र जर्या है। जोकि विवादित आराजी की काश्त से अपना जीवन निर्वाह करते चले आ रहे है।

यद्यपि विवादित आराजी वादी व असल प्रतिवादनी की शामलाती आराजी है, तथा उसमें वादी व असल प्रतिवादनी का 1/2–1/2 हक हिस्सा व कब्जा काश्त है।, लेकिन चूंकि असल प्रतिवादनी के पति श्रीराम मृतक ने वादी के नाबालिग होने का अनुचित फायदा उठाते हुए, बेईमानी व दुर्भावनापूर्वक वादी का हिस्सा हडप करने की गरज से कब्जे व मौके के खिलाफ तथा विधि विरूद्ध व बेजा तरीके पर कर्मचारियान राजस्व को अपने बेजा प्रभाव में लेकर बयनामा के आधार पर इंतकाल बय अपने नाम दर्ज व तस्दीक करवा लिया, तथा उसके आधार पर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में अपने नाम का अंकन करा लिया, जो बयनामा, इंतकाल तथा उसके आधार पर राजस्व रिकार्ड में असल प्रतिवादनी के पति श्रीराम मृतक के नाम का जो अंकन आया है। वह विधि विरूद्ध कब्जे व मौके के खिलाफ होने के कारण वादी के हक हकूको के प्रति बातिल व बेअसर करार दिया जाना न्यायहित में अतिआवश्यक है।

विवादित आराजी वादी व असल प्रतिवादनी की शामलाती आराजी है, जिसमें वादी का भी 1/2 हक–हिस्सा है।, लेकिन बतौर बदयांति असल प्रतिवादनी वादी का हिस्सा होने से इंकार करती है तथा असल प्रतिवादनी गलत व बेजा तौर पर अपने नाम अपने पति व वादी के भाई श्रीराम का इंतकाल विरासत अपने हक में दर्ज व तस्दीक कराकर राजस्व रिकार्ड में अपने नाम का अंकन कराने की कोशिश में है कि जिस कारण से वादी व असल प्रतिवादनी को प्रत्येक को विवादित आराजी में से उपरोक्त 1/2–1/2 भाग का खातेदार काबिज काश्तकार घोषित किया जाना तथा असल प्रतिवादनी के पति के नाम का अंकन राजस्व रिकार्ड में से कलमजन कराया जाकर व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती कराई जाकर राजस्व रिकार्ड में वादी व असल प्रतिवादनी का नाम उक्त हिस्सेनुसर बहैसियत खातेदार काबिज काश्तकार दर्ज कराया जाना आवश्यक व न्यायसंगत है।

विवादित आराजी वादी व असल प्रतिवादनी की संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस पर उनका शामलाती कब्जा काश्त चला आ रहा है। विवादित आराजी का आज तक बाहमी अथवा कानूनी तोर पर लिखित या जुबानी रूप में विभाजन नही हुआ है। यद्यपि अब तक वादी व असल प्रतिवादनी शामलात में शांतिपूर्वकाश्त करते आ रहे थे। लेकिन अब असल प्रतिवादनी के मन में बंईमानी आ जाने के कारण वादी का असल प्रतिवादनी के साथ शामलात में काबिज रहकर काश्त करना सम्भव नही रहा है कि जिस कारण से विवादित आराजी का बाई मीडस एण्ड बाउण्डस नियमानुसार सरस नरस के आधार पर विभाजन कराया जाना तथा वादी व असल प्रतिवादनी व उपरोक्तानुसार 1/2 –1/2 हिस्सा अलग–अलग कराया जाकर दखल दिलाया जाना अलग खाता अलग लगान कायम कराया जाना अतिआवश्यक है।

ण्ड अधिकारी
गाजी (अलवर)

Scanned by CamScanner

असल प्रतिवादनी वादी को विवादित आराजी से उसके हिस्से से जबरन बेदखल कर उसको बेचान करने पर बाजिद है। जैसा कि दिनांक 18.05.2016 को उसने धमकी दी है। यदि असल प्रतिवादनी ने वादी को आराजी से किसी कदर बेदखल कर दिया, अथवा विवादित आराजी को किसी कदर बेचान आदि कर दिया तो वादी के जायज कानूनी हकूक जायल होकर खतरे में पड जावेंगे, तथा बेजा मुकदमाबाजी व झगडाबाजी बढेगी। तथा ऐसा भारी नापूर्ति होने वाला नुकसान होगा कि जिसकी क्षतिपूर्ति किसी प्रकार नही हो सकेगी। कि जिस कारण से असल प्रतिवादनी को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक व न्यायसंगत है। दावे के निस्तारण में समय लगने की सम्भावना है। इसलिए ताफैसला दावा प्रतिवादी. नं. 1 अप्रार्थी. नं.1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा उक्तानुसार पाबंद किया जाना न्यायहित में अतिआवश्यक है। जिस हेतु यह प्रार्थनापत्र बिना किसी देरी अदालत श्रीमान में पेश किया जा रहा है।

प्रा0 पत्र दर्ज रिजस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्राथी असल न्यायालय हाजा उपसंजात होकर जवाब प्रा. पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। जवाब प्रा0 पत्र में अंकित सभी जिम्मनो को अस्वीकार किया गया है। जवाब के जिम्मन नं. 4 में इतना स्वीकार किया गया है कि प्रतिवादनी के पति श्रीराम एवं वादी भाई थे। बाकी सभी तथ्यों को अस्वीकार किया है।

विद्वान अधिवक्तागण उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान स्पष्ट किया गया कि विवादित आराजी साझे में परिवार के पैसो से क्रय की गई थी। पिता की पगडी श्रीराम के बॅधी थी। सजरे के अनुसार मूल पुरूष नारायण थे जिनके दो लडके श्रीराम व मुकेश कुमार है। श्रीराम नारायण का बडा लडका था जो फौत हो चुका है। श्रीराम की औरत श्रीमति तोफली है। जो असल प्रतिवादनी सं. 1 है। प्रार्थी वादी की आराजी का बटॅवारा कराया जावे। प्रतिवादनी/अप्रार्थी के पति श्रीराम बडा लडका होने के नाते विवादित आराजी की रजिस्ट्री श्रीराम के नाम हो गई और श्रीराम की मौत के बाद पत्नि तोफली के नाम इन्तकाल नही हुआ है। आराजी के 1/2 हिस्से पर प्रार्थी का कब्जा है प्रार्थी द्वारा बटॅवारा व घोषणा का दावा प्रस्तुत किया गया है और अप्रार्थीनी को मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया हुआ है। अतः पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला दावा स्थाई (बवदवितउ) किया जावे। प्रा0 पत्र को स्वीकार करने का अनुरोध किया गया।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीनी द्वारा बहस का खण्डन करते हुए विवेचन किया गया कि विवादित आराजी स्व अर्जित है। अप्रार्थीनी के पति श्रीराम की खरीद शुदा आराजी है जिसका इन्तकाल हो चुका है। अप्रार्थीनी द्वारा बटॅवारे का दावा भी किया हुआ है। बटॅवारा कराया जावे। मौके पर प्रार्थी का कब्जा है। पति की मौत के बाद पत्नि के नाम इन्तकाल नही हो सका है। विवादित आराजी पैत्रिक सम्पति नही है। एक खातेदार के विरूद्ध टी 9 नही दी जा सकती है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज फरमाया जावे। प्रा0 पत्र को अस्वीकार स्वीकार करने का अनुरोध किया गया।

विद्वान अधिवक्तागण उभय पक्ष की बहस पर गौर किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड नकल जमाबंदी सम्वत

ण्ड अधिकारी
गाजी (अलवर)

Scanned by CamScanner

2072–75 वाके ग्राम काबलीगढ के खाता संख्या 236 के अनुसार विवादित आराजी श्रीराम पुत्र नारायण ब्राहमण के नाम खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है जबकि प्रा0 पत्र 212 आर.टी. एक्ट में अंकित शजरा अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थीनी के पति श्रीराम सगे भाई है। और एक ही परिवार के लोग है। उक्त विवादित आराजी को क्रय करने के समय श्रीराम बालिग था जो अप्रार्थीनी का पति है और प्रार्थी नाबालिग था। प्रार्थी के नाबालिग होने का नाजायज फायदा उठाकर अप्रार्थीनी के पति श्रीराम द्वारा विवादित आराजी को अपने नाम जर्ये पंजीकृत बयनामा तस्दीक कराकर करा लिया गया। जबकि पत्रावली में अंकि शजरा अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थीनी के पति श्रीराम सगे भाई है। प्रार्थी द्वारा बटॅवारा व घोषणा का दावा प्रस्तुत किया गया है। वादी/प्रार्थी द्वारा चाहा गया घोषण का अनुतोष दावे के निर्णय में तय होगां। दावे के निर्णय में समय लगना स्वाभाविक है। प्रा0 पत्र में अंकित तथ्यानुसार प्रथम दृष्ट्या केस एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित होता है। अतः उपरोक्त तथ्यो के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी का प्रा0 पत्र स्वीकार करना न्यायोचित है।

अतः आदेश है कि प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट बाबत आ. ख.नं. 176 रकबा 0.69 है0 वाके काबलीगढ स्वीकार किया जाता है तथा पूर्व में जारी की गई अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला दावा स्थाई (बवदवितउ) किया जाता हैं तथा अप्रार्थीनी को पाबंद किया जाता है कि मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथा स्थिती बनाये रखे

निर्णय आज दिनांक 26.03.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखाया गया।

कैलाश चन्द्र शर्मा अधिकारी (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी थानागाजी (अलवर)

Scanned by CamScanner